

## अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, जिला-उदयपुर  
पीठासीन अधिकारी: श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, R.A.S  
राजस्व वाद संख्या : 32/25 (वाद)  
GCMS NO: 2025/87

अनवान

1. श्री देवीलाल पिता बाबरू भीणा जाति भीणा निवासी चारगदिया तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.। .....वादी

बनाम

1. श्रीमती हुडीबाई पत्नी उदा भीणा जाति भीणा निवासी भमेला तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
2. श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

.....प्रतिवादीगण

### वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 03.07.2025 को श्री रमेश चन्द्र बहेडिया R.A.S. सहायक कलक्टर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा भमेला पटवार हल्का कुण्डई तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की निम्न आराजियात का बंटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

क्र.स.	खातेदार का नाम	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	देवीलाल पिता बाबरू जाति भीणा निवासी चारगदिया	1280/1	0.6200	बीड द्वि.	1.24
	योग	किता 1	0.6200	-	1.24
2.	हुडी बाई पत्नी उदा जाति भीणा सा. देह खातेदार	1280/2	0.3100	बीड द्वि.	0.62
	योग	किता 1	0.3100	-	0.62

नोट- उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

